राजस्थान सरकार
न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल परिहार, RAS
प्रकरण –राजस्व मूल वाद संख्याः– 82/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.रावताराम पुत्र गेपरराम उम्र 65वर्ष 2.थानाराम पुत्र गेपरराम उम्र 58 वर्ष जातियान राईका निवासीगण ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. बिरदाराम पुत्र लालाराम के कायम मुकाम– 1/1–श्रीमती सजनादेवी पत्नी स्व0 श्री बिरदाराम 1/2–रुघाराम पुत्र स्व0 श्री बिरदाराम 1/3–शेराराम पुत्र स्व0 श्री बिरदाराम 1/4–भैराराम पुत्र स्व0 श्री बिरदाराम 1/5–सुगनादेवी पुत्री स्व0 श्री बिरदाराम 1/6–मीमादेवी पुत्री स्व0 श्री बिरदाराम 1/7–दरियां पुत्री स्व0 श्री बिरदाराम 2. बाघाराम पुत्र लालाराम जातियान राईका निवासीगण ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (लूणी)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम .

उपस्थितिः–
01.श्री मोतीसिंह अधिवक्ता वादीगण की ओर से
02.श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की ओर से
03.राजकीय पैरोकार प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

आदेश

दिनांकः– 8/2/2023

वादीगण की ओर से यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि वादीगण का कब्जाशुदा, काश्तशुदा पुश्तैनी खातेदारी भूमि वाके खसरा संख्या 117 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 148 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 434/6 रकबा 12 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 4 कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा वाके राजस्व ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित है। वक्त सैटलमेन्ट से वादग्रस्त भूमि श्री मूलसिंह व रणसिंह पिसरान पन्नेसिंह पुरोहित सासणदार की मालिकाना हक की थी एवं वादीगण के पिता गेपरराम उस पर बतौर खातेदार काश्तकार थे। मिसल बन्दोबस्त संवत 2011 में वादीगण के पिता की बतौर खातेदार प्रविष्टि सभी खसरान में दर्ज है। जागीर पट्टा समाप्त होने पर मालिक सासणदार के स्थान पर राज्य सरकार कायम हुई एवं वादीगण के पिता के नाम बतौर खातेदार वादग्रस्त भूमि दर्ज हुई।

वादीगण ने यह भी कथन किया है कि वादीगण के पिता गेपरराम का देहान्त 1978 में हो गया उनकी फौतेदगी के पश्चात् वादीगण के नाम म्युटेशन संख्या 299 दर्ज हुआ एवं गेपरराम के स्थान पर वादीगण खातेदार दर्ज हुए।

वाद पत्र में यह भी अंकित है कि प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में बिना किसी अधिकार के राजस्व अभियान कैम्प 1983 में दर्ज होना सामने आया एवं वादीगण को इसकी जानकारी वर्ष 2015 में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प गुढा विश्नोईया में हुई जहां वादीगण ने अपना खाता विभाजन कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा यह जानकारी दी गई कि वादग्रस्त जायदाद के खाते में प्रतिवादीगण का नाम भी बतौर खातेदार है। जबकि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने बाले बाले राजस्व कर्मचारियों से मिलावट करके वादग्रस्त भूमि में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में कभी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे एवं न ही कोई अधिकार है। वादीगण द्वारा पटवारी हल्का से जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि किसी भी प्रकार का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने का नहीं हुआ था/है। तथाकथित रुप से जो म्युटेशन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ है, उसमें राजस्व कैम्प खाराबेरा के आदेश कमांक 36 दिनांक 10–02–1983 दर्ज है जबकि ऐसा कोई आदेश न तो एस.डी.ओ. कोर्ट के रेकर्ड में है एवं न ही पटवारी हल्का के रेकर्ड में है। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन पटवारी के साथ मिलावट करके प्रतिवादीगण ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है।

वादीगण ने वाद पत्र में यह भी अंकित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रकिया एवं प्रावधान के अनुसार कृषि भूमि का खातेदार वो ही व्यक्ति हो सकता है, जो या तो अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि पर काश्त करता हो, या उसे भूमि उतराधिकार मे प्राप्त हुई हो या किसी सक्षम खातेदार द्वारा उसे अन्तरित कर दी गई हो। प्रतिवादीगण इसमें से किसी भी प्रावधान के तहत नहीं आते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज प्रविष्ठि जाली है एवं जाली प्रविष्ठि के आधार पर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज प्रविष्ठि निरस्त किये जाने योग्य है एवं वादीगण इस आशय की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है एवं प्रतिवादीगण को इस भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। साथ ही वादीगण ने यह भी प्रार्थना की है कि उक्त जाली प्रविष्ठि के आधार पर वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने पर आमादा है एवं नाम के आधार पर तीसरे व्यक्ति को भूमि अंतरित करने की धमकी दे रहे है इसलिये उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है।

अन्त में वादीगण ने प्रार्थना की है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमावें कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं इस अनुसार प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से डिलीट किया जावे एवं वादीगण के नाम सम्पूर्ण रकबे का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की चाही है कि राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठि के आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी न करे, किसी भी प्रकार का अन्तरण हस्तान्तरण नहीं करें।

वादीगण के उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया, पक्षकारान को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावे में यह कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में भाईबन्द है एवं वादीगण के दादा भीखाराम व प्रतिवादीगण के लालाराम सगे भाई थे उनका संयुक्त परिवार थां भीखाराम व लालाराम के देहान्त के बाद परिवार में गेपरराम बड़ा था तथा कर्ता खानदान था, भूमि के बन्दोबस्त के समय संयुक्त कब्जा काश्त था लेकिन गेपरराम परिवार में बड़ा होने तथा कर्ता खानदान होने से उसके अकेले के नाम भूमि दर्ज हो गई, गेपरराम को कई मर्तबा नाम दर्ज कराने के लिये कहा परन्तु वह आश्वासन देता रहा एवं उसकी मृत्यु के पश्चात म्युटेशन संख्या 299 से वादीगण के नाम भूमि दर्ज की गई, वादीगण ने राजस्व शिविर दिनांक 10–02–1993 को सहायक जिलाधीश के समक्ष प्रतिवादीगण का आधा हिस्सा दर्ज करने की सहमति दी एवं उसकी पालना में म्युटेशन संख्या 344 स्वीकृत किया गया जिसमें प्रतिवादीगण को भूमि के आधे हिस्से का खातेदार दर्ज किया गया। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का गेपरराम के साथ जागीर के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में विधि अनुसार सक्षम अधिकारी के आदेश के आधार पर भरा गया है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है एवं गेपरराम का सेटलमेन्ट के समय अकेले का नाम गलत दर्ज किया गया था इसलिये वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। प्रतिवादीगण ने अतिरिक्त कथन के रुप में यह अंकित किया कि दिनाक 10–02–1983 से वे राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदार दर्ज है एवं वादीगण का वाद म्याद बाहर होने से पोषणीय नहीं है, संयुक्त खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

पक्षकारों के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर वाद में निम्नलिखित तनकियात कायम की गई–

1. आया ग्राम खारावेरा पुरोहितान तहसील लूणी के खसरा न. 117 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा खसरा न. 148 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा खसरा न. 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा खसरा न. 434/6 रकबा 12 बीघा भूमि में वादीगण एक मात्र खातेदार हैं। प्रतिवादीगण का नाम रजास्व रेकार्ड से डिलीट किया जावे एंव वादीगण का नाम सम्पूर्ण रकबे में इन्द्राज किया जावे।

2. आया वक्त सेटलमेन्ट से वादीगण के पिता गोपरराम बतौर खातेदार काश्तकार थे वादीगण के पिता का देहान्त होने के पश्चात नामान्तरकरण सख्या 299 से वादीगण खातेदार दर्ज हुए।

3. आया वादीगण ने राजस्व अभियान केम्प खारावेरा में दिनवांक 01.02.1983 को शिविर प्रभारी सहायक जिलाधीश के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा होने सहमति देने पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया।

4. आया वाद पत्र में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त हैं इस कारण वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

तनकी सख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर हैं व तनकी सख्या 3 व 4 का भार प्रतिवादीगण पर हैं।

तनकियात कायम किये जाने के पश्चात् को साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया। दौराने विचारण प्रतिवादी संख्या 1 विरदाराम की मृत्यु हो जाने पर वादीगण की ओर से दिनांक 09–03–2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जिसे बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादी विरदाराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की गई।

वादीगण की ओर से वादी रावतराम व थानाराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये एवं वादीगण की ओर से वादी रावतराम पी डब्ल्यु–1 व वादी थानाराम पी डब्ल्यू–2 पेश हुए जिन्होंने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को अपनी साक्ष्य में दोहराया तथा अभिलेखिय साक्ष्य में जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श पी–1, नामान्तरणकरण संख्या– 299 प्रदर्श पी–2, जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 प्रदर्श पी–3, खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2030 प्रदर्श पी–4, 5 एवं 6 तथा नामान्तरणकरण संख्या 344 प्रदर्श पी–7 पेश किये गये एवं साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये गगये। प्रतिवादीगण की ओर से बार–बार अवसर लिये जाने के बावजूद भी कोई मौखिक साक्ष्य पेश की गई व न ही अभिलेखिय साक्ष्य पेश किये गये। प्रतिवादीगण ने वादीगण के गवाहान से जिरह भी नहीं की व वादीगण की साक्ष्य अखंडित रही। प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार के मौखिक साक्ष्य की सूची पेश नहीं की व न ही साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिस पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ली गई।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्य व मौखिक साक्ष्यों पर मनन किया गया बहस अन्तिम सुनी गई। इस न्यायालय का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

वादीगण ने अपने वाद पत्र में एवं साक्ष्य के शपथ पत्र में यह कथन किया है कि वक्त सैटलमेन्ट से वादग्रस्त भूमि श्री मूलसिंह व राणसिंह पिसरान पन्नेसिंह पुरोहित सासणदार की मालिकाना हक की थी एवं वादीगण के पिता गेपरराम उस पर बतौर खातेदार काश्तकार थे। मिसल बन्दोबस्त संवत 2011 में वादीगण के पिता की बतौर खातेदार प्रविष्टि सभी खसरान में दर्ज है। जागीर पट्टा समाप्त होने पर मालिक सासणदार के स्थान पर राज्य सरकार कायम हुई एवं वादीगण के पिता के नाम बतौर खातेदार वादग्रस्त भूमि दर्ज हुई।

साक्ष्य ने यह भी कथन किया है कि वादीगण के पिता गेपरराम का देहान्त 1978 में हो गया उनकी फौतेदगी के पश्चात् वादीगण के नाम म्युटेशन संख्या 299 दर्ज हुआ एवं गेपरराम के स्थान पर वादीगण खातेदार दर्ज हुए।

साक्ष्य ने यह भी अंकित है कि प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में बिना किसी अधिकार के राजस्व अभियान कैम्प 1983 में दर्ज होना सामने आया एवं वादीगण को इसकी जानकारी वर्ष 2015 में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प गुडा विश्नोईया में हुई जहां वादीगण ने अपना खाता विभाजन कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा यह जानकारी दी गई कि वादग्रस्त जायदाद के खाते में प्रतिवादीगण का नाम भी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

बतौर खातेदार है। जबकि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने बाले बाले राजस्व कर्मचारियों से मिलावट करके वादग्रस्त भूमि में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में कभी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे एवं न ही कोई अधिकार है। वादीगण द्वारा पटवारी हल्का से जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि किसी भी प्रकार का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने का नहीं हुआ था/है। तथाकथित रुप से जो म्युटेशन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ है, उसमें राजस्व कैम्प खाराबेरा के आदेश क्रमांक 36 दिनांक 10–02–1983 दर्ज है जिसके नामान्तरकरण सख्या 344 है। जबकि ऐसा कोई आदेश न तो एस.डी.ओ. कोर्ट के रेकर्ड में है एवं न ही पटवारी हल्का के रेकर्ड में है। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन पटवारी के साथ मिलावट करके प्रतिवादीगण ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रकिया एवं प्रावधान के अनुसार कृषि भूमि का खातेदार वो ही व्यक्ति हो सकता है, जो या तो अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि पर काश्त करता हो, या उसे भूमि उतराधिकार मे प्राप्त हुई हो या किसी सक्षम खातेदार द्वारा उसे अन्तरित कर दी गई हो। प्रतिवादीगण इसमें से किसी भी प्रावधान के तहत नहीं आते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज प्रविष्ठि जाली है एवं जाली प्रविष्ठि के आधार पर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज प्रविष्ठि निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में मिसल बन्दोबस्त सवत् 2011 से 2030 पेश की जिसके अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त से गेपिया वल्द भीखा (गेपर वल्द भीखा) के नाम दर्ज है एवं गेपर के निधन के बाद नामान्तरणकरण संख्या 299 जो साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है उसके अनुसार रावतराम व थानाराम के नाम दर्ज हुआ है। प्रतिवादी विरदाराम का नाम म्युटेशन संख्या 344 के जरिये दर्ज होना बताया गया है जबकि ऐसा कोई साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किया गया है साथ ही वादीगण ने यह कथन किया है कि उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की सहमति अथवा अन्तरण प्रतिवादीगण के हक में नहीं किया गया है, प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है एवं न ही जवाबदावे के साथ सहमति का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि म्युटेशन संख्या 344 की प्रविष्टि मनमानी एवं क्षेत्राधिकार विहिन है। खातेदार से भिन्न व्यक्ति की प्रविष्टि सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा खातेदार द्वारा अन्तरण किये जाने की स्थिति में ही रेकर्ड में दर्ज की जा सकती है। चूंकि वादग्रस्त भूमि के खातेदार वादीगण थे एवं उनसे पूर्व वादीगण के पिता वक्त बन्दोबस्त से खातेदार दर्ज थे इसलिये प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि दर्ज किया जाना पूर्णतया अवैधानिक पाया जाता है। प्रतिवादीगण ने किस हैसियत से एवं किस दस्तावेज के जरिये प्रविष्टि खातेदारी में दर्ज कराई है, उसका कोई उल्लेख प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में नहीं किया है। इस प्रकार से वादीगण यह साबित करने में सफल रहे है कि वादग्रस्त भूमि उनकी पुश्तैनी भूमि है एवं उनके पिता गेपरराम के निधन के पश्चात् उनके नाम दर्ज हुई है व वक्त बन्दोबस्त सम्पूर्ण भूमि गेपर वल्द भीखा के नाम से दर्ज की गई थी यानि की प्रतिवादीगण ने जवाबदावे में जो प्रतिरक्षा प्रकट की है उसका कोई आधार प्रतीत नहीं होता है एवं जवाबदावे के तथ्यों को साबित करने के लिये कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस स्थिति में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि के एकमात्र खातेदार वादीगण ने तथा प्रतिवादीगण के नाम जो प्रविष्टि दर्ज की गई है वह पूर्णतया गैरकानूनी व बिना प्रकिया के है जिसे निरन्तर रखे जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है।

अनुतोष–उपरोक्त विवेचन अनुसारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाता है और घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वाद पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 148 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 434/6 रकबा 12 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 4 कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा वाके राजस्व ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर में वादीगण को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं वादीगण के नाम सम्पूर्ण रकबे का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा भी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

इस आशय की बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में न तो किसी प्रकार का दखलंदाजी व हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी हो व निर्णय की पालना हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

08/02/23

(गोपाल परिहार) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 08/02/2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया,

08/02/23

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 82/2015

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.रावताराम पुत्र गेपरराम उम्र 65 वर्ष 02.थानाराम पुत्र गेपरराम उम्र 58 वर्ष जातियान राईका निवासीगण ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.बिरदाराम पुत्र लालाराम के कायम मुकाम– 1/1–श्रीमती सजनादेवी पत्नी स्व0 श्री बिरदाराम 1/2–रुघाराम पुत्र स्व0 श्री बिरदाराम 1/3–शेराराम पुत्र स्व0 श्री बिरदाराम 1/4–भैराराम पुत्र स्व0 श्री बिरदाराम 1/5–सुगनादेवी पुत्री स्व0 श्री बिरदाराम 1/6–मीमादेवी पुत्री स्व0 श्री बिरदाराम 1/7–दरियां पुत्री स्व0 श्री बिरदाराम 02.बाघाराम पुत्र लालाराम जातियान राईका निवासीगण ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर। 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 82/2015 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः पत्रावली मे वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 148 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 434/6 रकबा 12 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 4 कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा वाके राजस्व ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर में वादीगण को एक मात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं वादीगण के नाम सम्पूर्ण रकबे का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किया जावे। प्रतिवादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में न तो किसी प्रकार का दखलंदाजी व हस्तक्षेप नहीं करें।

नीज.......................................मुबलिक.................................बाबत..................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....................
..................................को अदा करें।
बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 8/02/2023 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई		रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	स्थाम्प			स्टाम्प अरजी दावा		
वकालतनामा				स्टाम्प		
स्टाम्प वजह सबूत				वकालतनामा		
महनताना वकील				स्टाम्प वजह सबूत		
खर्चा गवाहान				महनताना वकील		
फीस कमिश्नर				खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक				फीस कमिश्नर		
	मीजान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
				मुतफर्रिक		
				मीजान		

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी